न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या–17 / 2015

रूपा पुत्र रामचन्द्र जाति बंन्जारा निवासी बगडावा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

–बनाम–

तहसीलदार नीमकाथाना भूमिधारी सीकर –रेस्पोडेन्ट–

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.8.2001 द्वारा अपर जिला कलेक्टर सीकर।

––0––

उपस्थिति–

1–श्री बजरंग सिंह शेखावत ऐडवोकेट–अपीलान्ट

2–श्री पोकरमल राजकीय अधिवक्ता–रंस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक–23.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र भू–आंवटन निरस्त करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बगडावा में आराजी ख0नं0–591 / 1 / 1 में से 0.22 हैक्टर का आंवटन दिनाक 19–6–1999 को बीरबल पुत्र सरदारा बंजारा को किया गया जो नियम विरूद्ध किया गया है जिसे निरस्त करने की कार्यवाही की जावे। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

Web Copy - Not Official

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। विवादित आराजी कभी भी गैरमुमकीन पहाडियां नही रही है उक्त आराजी सदैव ही काश्त की रही है जो सदैव ही काश्त के काम में आती रही है। उक्त आराजी आवंटन के समय बारानी दर्ज रही है। इसके बाद यह आराजी किस आदेश से गैमुमकीन पहाडियां दर्ज की गई स्पष्ट नहीं है। अपीलान्ट को जिस समय यह आराजी आवंटन की गई उस समय यह आराजी आवंटन योग्य रही है। जो नियमानुसार सभी नियमों की पालना कर आंवटित की गई है। आवंटन से पूर्व सलाहकार समिति ने कृषि प्रयोजनार्थ भू-आंवटन नियम-7 क ख की पूर्ण पालना की थी तथा आवंटन आदेश से पूर्व प्रार्थना पत्र आमन्त्रित कर अधिसूचना जारी कर नियमानुसार आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार अलाटमेन्ट कमेंटी का सदस्य है जिसने आवंटन के समय आंवटन की सिफारिस कर अपने हस्ताक्षर किये है अब रेस्पोडेन्ट तहसीलदार द्वारा यह प्रार्थना पत्र विधि के विपरित पेश किया है। जिस पर अदालत मातहत ने बिना गौर किये अपना आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है। आवंटन तभी निरस्त किया जा सकता है जब आवंटी ने फ्राड अथवा मिस रिप्रेजन्टेशन से आंवटन प्राप्त किया हो। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही होते हुये भी अदालत मातहत ने अपना आदेश साक्ष्यो के विपरित पारित किया है। आंवटन के उपरान्त कानूनन तकनीकी खामियों के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। क्योकि विधि के अनुसार टेक्नीकल फारमल्टीज की पालना सक्षम अधिकारियो को आवंटन के समय देखनी चाहिये थी तहसीलदार ने आवंटन आदेश को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र विधि के विपरित पेश किया है जिस पर अदालत मातहत ने बिना गौर किये अपना आदेश पारित किया है। अत अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित आराजी का आवंटन नियमों की पालना करते हुये किया गया है। आवंटन के बाद विवादित

सीकर

आराजी का राजस्व रिकार्ड अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जा चुका है जिसकी जमाबन्दी सं0–2057 से 2060 मैने पेश की है जिसमें गैर खातेदारी का नोट दर्ज कर दिया गया। यह अंकन भी तहसीलदार द्वारा किया गया है अब तहसीलदार द्वारा यह प्रार्थना पत्र नियमों के विपरित पेश किया है जिस पर अदालत मातहत ने नियमों की अनदेखी कर आदेश पारित किया है। बहस के समर्थन में कानूनी नजीर आर आर डी 1973 पेज– 800 पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
स्वीकर

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित दिया है विवादित आराजी की किस्म गैर मु0 पहाड दर्ज है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता। यहआराजी राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–16 में वर्जित है जिसका न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही नियमन किया जा सकता है। भू–आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन के पूर्व आवंटन नियम 1970 के नियमों की कोई पालना न कर आंवटन किया है जो नियमों के विपरित है। आंवटन की अधिसूचना 15 दिन पूर्व जारी की जानी चाहिये किन्तु भू–आंवटन सलाहकार समिति ने इस अवधि को घटाकर केवल–7 दिन कर दिया जो आंवटन नियमों के विपरित है। अदालत मातहत ने अपना आदेश सभी तथ्यो पर गौर करने के बाद पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें ।

बहस बगौर समाहत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आंवटित भूमि की किस्म गै0मु0 पहाड़ दर्ज है। गै0 मु0 पहाड़ राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्जित (प्रतिबन्धित) भूमि है। जिसका न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही नियमन किया जा सकता है। आवंटन से पूर्व आंवटन राज0 भू–राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई। आंवटन बंजारा जाति के सदस्यों को की गई है। जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं किन्तु गै0 मु0 पहाड़ का आंवटन/नियमन नहीं किया जा सकता विद्वान वकील अपीलांट ने कानूनी नजीर आर आर डी 1973 पेज 800 पेश की है उसमें आराजी की किस्म भिन्न है इसमें आराजी आंवटन योग्य है। इस कारण प्रस्तुत नजीर के तथ्य भिन्न

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

होने से प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप उचित नहीं मानते।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 22.08.2001 यथावत रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.3.2018 को सुनाया गया।

23/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर